

**(iv) Need to take steps for revival of Tundu Unit of Hindustan Zinc Limited with a view to safeguard the interests of workers of the company**

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद) : महोदय, हिन्दुस्तान जिंक लि० की लाभ अर्जित करने वाली महत्वपूर्ण इकाई ब्लेड स्मेल्टर टुण्डू, धनबाद की स्थापना 1942 में सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण सामग्री लेड उत्पादन के लिए हुयी थी। लेड स्मेल्टर टुण्डू इकाई के माध्यम से भारतवर्ष में इस महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान के कई अन्य इकाइयों का उदय हुआ। भारत सरकार द्वारा 11.04.2002 को इस प्रतिष्ठान का 26: शेयर में० स्आरलाइट आपरचुनिटीज एंड वेन्चर्स लिमिटेड को बेचकर प्रबंधकीय प्रभार भी सौंप दिया गया। इस कंपनी का 30 प्रतिशत से अधिक शेयर भारत सरकार के पास अभी भी है परंतु दिनांक 23.2.2004 से टुण्डू इकाई को भी बिना किसी सरकारी निर्देश/आदेश एवं पूर्व सूचना के तालाबंदी कर दिया गया तथा यहां के मजदूरों को वेतन एवं सभी आवश्यक सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया है। समुचित इलाज के अभाव में एक मजदूर एवं एक मजदूर के आश्रित की मृत्यु हो गयी तथा अनेकों मजदूर गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। श्रमायुक्त झारखंड सरकार द्वारा भी 23.2.2004 से कार्यस्थान/तालाबंदी को गैर कानूनी घोषित किया गया है। ज्ञातव्य हो कि मजदूरों की संख्या वी०आर०एस० के तहत घट जाने के बाद भी यहां के मजदूरों ने लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है। मजदूरों की संख्या 742 की जगह मात्र 292 रह गयी है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि उक्त कारखाने का प्रचालन अविलंब प्रारंभ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।